अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को गृह आवंटन

764. **श्री चुन्नी लाल चौधरी**: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अम्बडेकर आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को आसान किस्तों और कम कीमत किराया खरीद पर गृह आवंटित करश्ने के लिए माननीय डा.भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर 1989 में एक योजना बनाई थी,जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के विभिन्न वर्गो के लोगों ने राशि जमा कराई थी और अपना पंजीकरण कराया था;

(ख) यदि हां,तो इसके विज्ञापन पर कितना व्यय हुआ था;

(ग) घरों की उस समय की क्या कीमत रखी गई थी और इसे किस आधार पर निर्धारित किया गया था;

(घ) किस्तों के आधार पर उन लोगों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है जिन्हें गृह आंवटित किए गए हैं;और

(ड़) पंजीकृत लोगों की श्रेणी-वार संख्या क्या हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) डी.डी.ए.ने बताया है कि अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को किराया खरीद तथा नकद आधार पर फ्लैट आवंटित करने के लिए अम्बेडकर आवास योजना -1989 नामक एक योजना शुरू की गई थी।

(ख) योजना के अन्तर्गत विज्ञापन पर लगभग 2.5 लाख रू. खर्च किए गए हैं।

(ग) योजना लागू करते समय प्रति फ्लैट की लागत निर्धारित नहीं की गई थी। आवंटन के समय नीति के आधार पर प्रति फ्लैट की लागत वसूल की जाती हैं।

(घ) जिन लोगों को किश्तों पर मकान आवंटित किए गए हैं,उनकी संख्या श्रेणी-वार इस प्रकार हैं :-

जनता	-	2238
निम्र आय	-	583
वर्ग मध्य आय	-	1488 वर्ग

(ड़) योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार हैं:-

जनता -	3000
निम्र आय वर्ग -	10000
मध्यम आय वर्ग -	7000

आवास क्षेत्र को सरल और कारगर बनाने के लिए विधेयक

765. **श्री नरेश यादव**: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आवास क्षेत्र को सरल और कारगर बनाने तथा इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए व्यापक विधेयक तैयार करने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या उक्त विधेयक के मसौदे को अतिंम रूप दे दिया गया हैं;और

(घ) इसके सभा में कब तक पुर: स्थापित किए जाने की संभावना हैं

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी,नहीं। आवास क्षेत्र को सुचारू बनाने के लिए किसी भी व्यापक विधेयक पर विचार नहीं किया जा रहा हैं। आवास राज्य का विषय है। इसलिए आवास के बारे में कानून अधिकांशत: राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। जैसा कि राष्ट्रीय आवास नीति में कहा गया है केन्द्र सरकार समर्थ कर्त्ता की भूमिका निभाती है। तथापि,आवास क्रियाकलापों को सुगम बनाने के लिए केन्द्र सरकार आदर्श कानून और किराया नियंत्रण,स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण से संबंधित विद्यमान कानूनों में संशोधनों जैसे अन्य तरीकों के माध्यम से राज्यों को इस प्रकार की सलाह देती है ताकि आवास कार्यकलापों को प्रोत्साहन मिले। केन्द्र सरकार ने अपनी ओर से एक अध्यादेश के माध्यम से शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम,1976 को पहले निरस्त किया है। इस प्रकार राज्यों को इस निरस्तीकरण को अपनाने और आवश्यकता आधार पर निर्णय करने अथवा शहरी भूमि धारिता पर कानून बनाने या न बनाने के लिए सक्षमता प्रदान कर दी हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।